

समाहरणालय सिमडेगा

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1817/रा0, दिनांक-30.04.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0भी0 द्विपथ कोलेबिरा-सिमडेगा संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में पड़ने वाली निम्नांकित गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) जो निम्नांकित प्लॉटों में सीन्हित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है:-

अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	अभ्युक्ति
कोलेबिरा	नवाटोली	114	129 / 250	265	0.2510	जंगल-झाड़ी	
			95	268	0.783	जंगल-झाड़ी	
			135	266	0.1074	जंगल-झाड़ी	
	भँवरपहाड़	121	168	1773	0.5824	जंगल-झाड़ी	
				1791	0.4866	जंगल-झाड़ी	
				1768	0.3804	जंगल-झाड़ी	
				1816	0.0668	जंगल-झाड़ी	
	गोरबधंसा	115	54	433	0.1821	जंगल-झाड़ी	
				403	0.0969	जंगल-झाड़ी	
				165	0.0185	जंगल-झाड़ी	
				167	0.0215	जंगल-झाड़ी	
				220	0.1126	जंगल-झाड़ी	
				199	0.1063	जंगल-झाड़ी	
				204	0.1214	जंगल-झाड़ी	
रकबा का योग:-					3.3169		

अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	अभ्युक्ति
कोलेबिरा	सुन्दराटोली	116	41	169	0.1509	जंगल-झाड़ी	
				161	0.1848	जंगल-झाड़ी	
				135	0.268	जंगल-झाड़ी	
				117	0.1527	जंगल-झाड़ी	
				120	0.087	जंगल-झाड़ी	
				36	0.8669	जंगल-झाड़ी	
				10	0.2826	जंगल-झाड़ी	
				1	0.0377	जंगल-झाड़ी	
	मचका	117	24	289	0.3259	जंगल-झाड़ी	
				305	0.077	जंगल-झाड़ी	
				408	1.0799	जंगल-झाड़ी	
				200	0.3877	जंगल-झाड़ी	
				177	0.444	जंगल-झाड़ी	
				336	0.3583	जंगल-झाड़ी	
				415	1.0788	जंगल-झाड़ी	
	टैसैरा	93	168	125	0.298	जंगल-झाड़ी	
				93	0.0747	जंगल-झाड़ी	
	बन्दरचुआँ	92	308	20	0.0363	जंगल-झाड़ी	
				18	0.1609	जंगल-झाड़ी	
				14	0.0603	जंगल-झाड़ी	
				54	0.0397	जंगल-झाड़ी	
				2780	0.0772	जंगल-झाड़ी	
रकबा का योग:-					6.5293		
कुल रकबा का योग:-					(3.3169 + 6.5293)	9.8462	

उक्त भूमि के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने एवं पूर्वानुमित प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा तथा गैरमजरूआ भूमि की तरह ही इस भूमि के हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

A-TPPO

अंचल
अमीन

RSL

राजस्व उप
निरीक्षक

RSL

अंचल
निरीक्षक

RSL

अंचल अधिकारी,
कोलेबिरा

RSL

भूमि सुधार उप
समाहर्ता, सिमडेगा

RSL

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमडेगा।

RSL

अपर समाहर्ता,
सिमडेगा।

RSL

उपायुक्त,
सिमडेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा

(राजस्व शाखा)

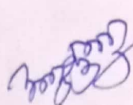
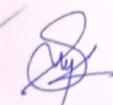
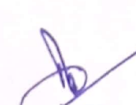
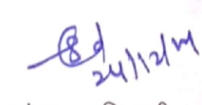
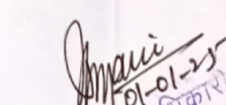
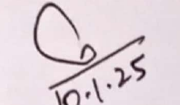
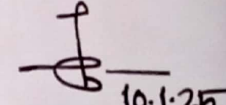
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

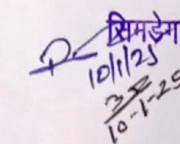
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1817/रा0, दिनांक-30.04.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0मी0 द्विपथ कोलेबिरा-सिमडेगा संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में पड़ने वाली निम्नांकित गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) जो निम्नांकित प्लॉटों में सीन्हित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है:-

अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	अभ्युक्ति
सिमडेगा	आरानी	67	83	306	0.37	जंगल-झाड़ी	
				387	0.18	जंगल-झाड़ी	
				325	0.08	मझौला जंगल	
			130	1240	1.14	मझौला जंगल	
				1341	0.84	जंगल-झाड़ी	
				1304	0.21	जंगल-झाड़ी	
				1304 / 2103	0.45	जंगल-झाड़ी	
			83	1313	0.31	जंगल-झाड़ी	
				1070	0.19	मझौला जंगल	
				1053	0.24	मझौला जंगल	
				1090	0.20	मझौला जंगल	
				941	0.15	जंगल-झाड़ी	
			130	1944	0.08	मझौला जंगल	
				1957	0.37	जंगल-झाड़ी	
	बिन्धाईन टोली	63	85	681	0.43	जंगल-झाड़ी	
				578	0.04	जंगल-झाड़ी	
रकबा का योग:-					5.28		

अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	अभ्युक्ति
सिमडेगा	बीरु	58	297	3590	0.67	जंगल-झाड़ी	
			148	3531	0.16	जंगल-झाड़ी	
			297	3518	0.33	जंगल-झाड़ी	
				4190	0.20	जंगल-झाड़ी	
				4187	0.17	जंगल-झाड़ी	
				रकबा का योग:-			
कुल रकबा का योग:-				(5.28 + 1.53)	6.81		

उक्त भूमि के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने एवं पूर्वानुमित प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा तथा गैरमजरूआ भूमि की तरह ही इस भूमि के हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

 अंचल
अमीन
 राजस्व उप
निरीक्षक
 अंचल
निरीक्षक
 अंचल अधिकारी,
कोलेबिस
सिमडेगा
 भूमि सुधार उप
समाहर्ता, सिमडेगा
 अनुमंडल प्रदाधिकारी,
सिमडेगा
 अपर समाहर्ता,
सिमडेगा
 उपायुक्त,
सिमडेगा

 सिमडेगा
10/1/25
28
10-1-25